



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2078] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2017/श्रावण 5, 1939
No. 2078] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2017/SRAVANA 5, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

का.आ. 2358(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिसे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 05 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिसमें अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 950 (अ) तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011 द्वारा संशोधन किया गया था, के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3248 (अ) तारीख 25 अक्टूबर, 2013, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, टिप्पणियों के अधीन विद्यमान पैरा 1:-

उदग्रहीत शुल्क.....ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए

शुल्क अधिसूचना के अनुसार कालम 1 में	निम्नानुसार संशोधन किया जाना है
टोल प्लाजा(प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	टोल प्लाजा(प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)
जाजपुर जिले में साईकुल गांव के पास, रारा-215 के 33.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) पर	केओझर जिले में हसनपुर गांव के पास, रारा-215 के 32.900 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) पर
केओझर जिले में धेनकीकोट गांव के पास, रारा-215 के	केओझर जिले में खंताघर गांव के पास, रारा-215 के

92.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) पर	91.900 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) पर
केओझर जिले में पदमपुर गांव के पास, रारा-215 के 134.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) पर	केओझर जिले में बनजोड़ी गांव के पास, रारा-215 के 134.380 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) पर

उक्त अधिसूचना में, टिप्पणियों के अधीन विद्यमान पैरा 2:-

उपर्युक्त के अतिरिक्त,.....ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए

शुल्क अधिसूचना के अनुसार कालम 1 में	निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा
टोल प्लाजा(प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	टोल प्लाजा(प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)
जाजपुर जिले में साईकुल गांव के पास, रारा-215 के 33.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) पर	केओझर जिले में हसनपुर गांव के पास, रारा-215 के 32.900 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) पर
केओझर जिले में धेनकीकोट गांव के पास, रारा-215 के 92.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) पर	केओझर जिले में खंताघर गांव के निकट, रारा-215 के 91.900 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) पर
केओझर जिले में पदमपुर गांव के पास, रारा-215 के 134.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) पर	केओझर जिले में बनजोड़ी गांव के पास, रारा-215 के 134.380 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) पर

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

[फा. सं. भाराराप्रा/ 13013/705/ सीओ /10-11/जीसी – केओझर (0.0-163.0) बीओटी]

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2017

S.O. 2358(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R. 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E) dated 12th January, 2011, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road, Transport and Highways number S.O. 3248(E), dated 25th October, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, under the Notes the existing para 1:-

The fee levied _____ for such Toll Plaza(s):

As per fee notification in Column 1	To be amended as
Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Location of Toll Plaza(s) (chainage)
At km 33.000 (Design Chainage) of NH-215, Near Village Sainkul in Jajpur District.	At km 32.900 (Design Chainage) of NH-215, Near Village Hasanpur in Keonjhar District.
At km 92.000 (Design Chainage) of NH-215, Near Village Dhenkikote in Keonjhar District.	At km 91.900 (Design Chainage) of NH-215, Near Village Khantaghar in Keonjhar District.
At km 134.000 (Design Chainage) of NH-215, Near Village Padmapur in Keonjhar District.	At km 134.380 (Design Chainage) of NH-215, Near Village Banajodi in Keonjhar District.

In the said notification, under the Notes the existing para 2:-

In additional to above, _____ for such toll plaza(s):

As per fee notification in Column 1	To be amended as
Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Location of Toll Plaza(s) (chainage)
At km 33.000 (Design Chainage) of NH-215, Near Village Sainkul in Jajpur District.	At km 32.900 (Design Chainage) of NH-215, Near Village Hasanpur in Keonjhar District.
At km 92.000 (Design Chainage) of NH-215, Near Village Dhenkikote in Keonjhar District.	At km 91.900 (Design Chainage) of NH-215, Near Village Khantaghar in Keonjhar District.
At km 134.000 (Design Chainage) of NH-215, Near Village Padmapur in Keonjhar District.	At km 134.380 (Design Chainage) of NH-215, Near Village Banajodi in Keonjhar District.

[F. No. NHAI/13013/705/CO/10-11/GC-Keonjhar (0.0-163.0) BOT]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.